तारीख हुक्म	रामचन्द्र V/S मुन्ना हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म में
11/9/19	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक प्रार्थीगण व/अ/प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है। अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रा: पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरुद्ध विपक्षी के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण एवं विपक्षी व अन्य प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की ग्राम बद्दूवेड़ा में आराजी कं. 842 रकबा 0.05 है. हुई। स्थित है। विपक्षी जबरदस्ती ताकत के बल पर उक्त कुये पर कमरा बनाना चाहती है जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है। प्राथमिक का प्रथम दृष्टया प्रकरण है। सुविधा संन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। यदि विपक्षी को अस्थायी निषेधाज्ञा से पालंड नहीं किया गया तो प्रार्थीगण को भारी अपूर्तनिय क्षति होगी जिसका मुल्यांकन सम्भव नहीं होगा। अत: ताप्रेश्वला वाद पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की प्रदान	

सहायक कलेक्टर

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

की जावे कि पेश सैय्या 2 में वर्णित
आ० प्लाट नं. 842 रकबा 0.05 है०
ग्राम बच्छड़ पेड़ में स्थित मंकिटी
प्रकार का निर्माण कार्य न तो स्वंय
करे व अपने नौकरो, एजेंटो से
व परिवार के सदस्यो से करावे।
प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षी
को जरिये सम्मन तलब किया गया।
दि० 4-9-18 को विपक्षी बावजूद सम्मन
तामील उपस्थित नहीं होने से एक तरफा
कार्यवाही की जाकर प्रकरण अंतिम बहस
के नियत किया गया। दिनांक 3-9-19
को बहस अभिभाषक प्रार्थी की सुनी
गई। बहस में अभिभाषक प्रार्थी
ने बताया कि वाद ग्रस्त आराजीयात
संयुक्त होकर विपक्षी उस पर मिट्टी
खोदकर निर्माण कार्य कर कब्जा
बनाना चाहती है जिसका उसे अधिकार
को कोई हक्कि कार नहीं है अतः
प्रार्थना स्वीकार किया जाकर
विपक्षी को अस्थायी निषेधाज्ञा से
पाबंद किया जावे। प्रकरण एवं प्रस्तुत
राजस्व अभिलेख जमाबंदी सम्बत

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
पादुपुरा (जोधपुर)

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म में

2012 से 2015 ग्राम बच्छरवड़ा का अपलोक किया गया। पाड़ ग्रास्त आराजियान प्रार्थीगण खिपड़ी एवं अन्य के संयुक्त खोतदारी से इजी इकाई है जिससे प्रार्थीगण के परिवार की पुष्टी होती है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं।

आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत धारा 21 RTA स्वीकार किया जाकर विपक्षी के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा का फैसला पाड़ इस आशय की जारी की जाती है कि वाले ग्राम बच्छरवड़ा में स्थित आ० नं० 842 रकबा 0.05 है० मैं कुछ भाग में किसी प्रकार का निर्माण कार्य न तो स्वयं करे न अपने नौकरो, एजेंटो से व परिवार के सदस्यो से करावे। यथावली फैसला शुमार होकर आज्ञप्ति से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
आबूरोड (सीरोही)

Scanned by CamScanner